प्रा/६५

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, , वेबसाईट : http://bsea.bihar.gov.in, वेबसाईट : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 29/07/2025

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/ नि० 1-07/2024 2331 बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या- 2008 दिनांक 20.06.2025 द्वारा **नवीनगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०, प्रखंड- नबीनगर, जिला- औरंगाबाद के अध्यक्ष पद** का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा- 14 (9) एवं व्यतिक्रमी संबंधी शिकायत के आलोक में उक्त समिति का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचना संख्या- 2188 दिनांक 11.07.2025 द्वारा स्थगित किया गया था। इस मामले पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरांत **नवीनगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०** के निर्वाचन कार्यक्रम को अधिसूचना संख्या-2008 दिनांक 20.06.2025 के क्रम में नामांकन के स्तर से निम्नवत् निर्धारित किया जाता है-

(i)	निर्वाचन प्रक्रिया जारी रखते हुए संशोधित कार्यक्रम का निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रकाशन	02.08.2025 (शनिवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	07.08.2025 (गुरूवार) एवं 08.08.2025 (शुक्रवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	09.08.2025 (शनिवार) एवं 11.08.2025 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी की तिथि	13.08.2025 (बुधवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	20.08.2025 (बुधवार) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 4:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	20.08.2025 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	22.08.2025 (शुक्रवार)

2. उक्त निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में **नवीनगर व्यापार मंडल सहयोग समिति लि०** के मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय 3 की कंडिका- (1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0), नबीनगर, औरंगाबाद इसका अनुपालन प्रतिवेदन **दिनांक 04.08.2025 तक** उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. मतदान का समय 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगा। निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र- ई०18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करायेंगे।

Noti. for Stay Navi Nagar Vyapar Mandal Aurangabad 28.07.2025

4. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् दिनांक **22.08.2025** तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ **134-142** पर देखा जा सकता है।

5. अधिसूचना संख्या- 2008 दिनांक 20.06.2025 की शेष बातें यथावत् रहेंगी।

29/7/25

(कयूम अंसारी)

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2331 पटना/ दिनांक 29/07/2025

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

29/7/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2331 पटना/ दिनांक 29/07/2025

प्रतिलिपि प्रमंडलीय आयुक्त, मगध/ जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), औरंगाबाद/ पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद/ उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी (स०स०), औरंगाबाद/ जिला सहकारिता पदाधिकारी, औरंगाबाद/ प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०), नबीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2331 पटना/ दिनांक 29/07/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, होम गार्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2331 पटना/ दिनांक 29/07/2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 2331 /पटना, दिनांक 29/07/2025

प्रतिलिपि: श्री मुकेश कुमार ठाकुर, अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/25

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 2331 पटना/ दिनांक 29/07/2025

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ परामर्शी/ अवर सचिव/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री वेद प्रकाश, आईटी प्रोफेशनल को इस निदेश के साथ प्रेषित कि वेबसाईट से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई ससमय करना सुनिश्चित करेंगे।

29/7/25

संयुक्त सचिव।